I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB ROHTAK **Year (वर्ष):** 2020

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0001 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 25/01/2020 15:35 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	467
3	IPC 1860	468
4	IPC 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/01/2013 **Date To (दिनांक तक):** 30/09/2014

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/01/2020 **Time (समय):** 14:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 009 **Date and Time (दिनांक और समय):** 25/01/2020 14:55 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 55 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** SONIPAT,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

थाना स्टेट विजिलैंस ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Narender Singh

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 21/12/1970 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	B9, new bharti nagar, BHIWANI CITY, BHIWANI, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	B9, new bharti nagar, BHIWANI CITY, BHIWANI, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	मोनू		Father's Name: रामभज	1. जसिया,ROHTAK SADAR,ROHTAK,HARYANA,INDIA
2	सज्जन कुमार		Father's Name: रामेश्वर दयाल	1. बाबरवास, TOSHAM,BHIWANI,HARYANA,INDIA
3	राजेश कुमार		Father's Name: इन्द्रसिंह	1. पेटवाड,BASS,HANSI,HARYANA,INDIA
4	नवीन कुमार		Father's Name: महेन्द्र सिंह	1. खूबड़, GANNAUR,SONIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना रा0चौ0ब्यूरो(ह) रोहतक मण्डल रोहतक। श्रीमान जी, जांच क्रमांक 21 दिनांक 13.12.2018 सोनीपत अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 25/40/2018-4 चौ(T) दिनांक 06.12.18 की अनुपालना में महानिदेशक रा0चौ0ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक 17612/1-5/SVB(H) दिनांक 13.12.18 अनुसार आसूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजि0 होकर पडताल हेतू इस मण्डल में प्राप्त हुई थी जिसमें वर्ष 2013-14 में जनस्वास्थ्य विभाग सोनीपत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चौकीदार,की मैन, स्टोर कूली,व सीवर मैन आदि की भर्ती में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों/शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के आधार पर भर्ती के आरोपों की जांच की जानी थी। उपरोक्त आरोप की पूर्ण पडताल मन उप नि0 द्वारा की गई है। पडताल के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013 में जनस्वास्थ्य विभाग परिमण्डल सोनीपत में अधीक्षक अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग सोनीपत द्वारा नियमित चतुर्थ श्रेणी मैकनिकल स्टाफ के विभिन्न श्रेणियों के कुल 52 पदों हेतू आवेदन मांगे गये थे। सभी पदों हेतू आवेदन एक ही आवेदन के माध्यम से प्राथमिकता के आधार किये जाने थे। उक्त पदों पर चयन हेतू चयन कसौटी (Selection Criteria) के तहत मिडल कक्षा के अधिकतम 15 अंक, मैट्रिक कक्षा के अधिकतम 15 अंक, 12th के अधिकतम 20 अंक व अनुभव के अधिकतम 10 अंक दिये गये थे जिसमें एक वर्ष के अनुभव का 01 अंक था। इस चयन कसौटी के तहत किसी ने यदि मिडल में 100 प्रतिशत अंक हासिल किये है तो ही उसे 15 अंक दिये जाने थे यदि अंको का प्रतिशत 50 है तो उसे 7.5 मार्क ही दिये जाने थे। यही नियम मैट्रिक व 12th के सम्बन्ध में भी लागू था। इसके अतिरिक्त 15 अंक का फिल्ड टैस्ट व 25 अंक का Personality टैस्ट चयन कमेटी द्वारा लिया गया था। साक्षात्कार उपरान्त केवल 46 उम्मीदवारो का चयन किया गया था जिनमें से 25 उम्मीदवारो ने अपने अपने आवेदनो के साथ अतिरिक्त कार्य के अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किये थे। जिनका उनको एक वर्ष तक के अनुभव का 01 अंक तथा अधिकतम 10 अंक दिये गये है अर्थात 10 वर्ष से अधिक समयावधि के अनुभव के 10 से अधिक अंक नहीं दिये गये है। पडताल के दौरान सभी चयनित उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाणपत्रों व उनके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की भी तस्दीक की गई है। इनमें से मोनू पुत्र रामभज वासी जसिया जिला रोहतक हाल चौकीदार जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन न0 03 गोहाना जिला सोनीपत का दशवीं व 12th का प्रमाणपत्र जाली पाया गया उसके दवारा ये डिग्रियां माध्यमिक शिक्षा परिषद मोहाली पंजाब से की जानी पाई गई। उक्त शिक्षा परिषद अपने दिये गये पते पर होनी नहीं पाई गई तथा ना ही इसकी मान्यता हरियाणा विघालय शिक्षा बोर्ड व पंजाब शिक्षा बोर्ड के समकक्ष होनी पाई गई। उसके अतिरिक्त सज्जन कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल वासी बाबरवास जिला भिवानी हाल चौकीदार जनस्वास्थ्य विभाग

डिविजन तोशाम जिला भिवानी, राजेश कुमार पुत्र इन्द्र सिंह वासी पेटवाड जिला हिसार हाल सिविरमैन जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन न0 02 जीन्द व नवीन कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह वासी खुबडु जिला सोनीपत हाल की मैन जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन न0 2 सोनीपत के अनुभव प्रमाणपत्र सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा जारी किये जाने नही पाये गये जिनकी पुष्टि क्रमश: सुरेश कुमार ठेकेदार वासी 57 पार्क कालोनी भिवानी, नरेन्द्र कुमार ठेकेदार वासी सीसर खाश त0 महम जिला महम, सतपाल सिंह ठेकेदार वासी जगदीश कानोनी हांसी व बलबीर सिंह रोहिल्ला अधिकृत हस्तांक्षरी हाई टैक बिजनेंस कबीरपुर रोड सोनीपत ने अपने अपने कथनों में की है। अधीक्षक अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी परिमण्डल सोनीपत के पत्र क्रमांक 7132 दिनांक 11.10.2019 अनुसार उक्त उम्मीद्वारो के अनुभव/शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की वैरिफिकेशन की जिम्मेवारी उनको ज्वाईनिंग देने वाले सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ताओं(DDO) की थी। पडताल के दौरान पाया गया कि सर्कल से चयनित उम्मीद्वारों के नियुक्ति पत्र जारी करते समय नियुक्तिपत्रों में ही सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ताओं को लिख दिया गया था कि ज्वाईनिंग के समय उम्मीद्वार के सभी असल दस्तावेजों की जांच कर ली जाये। मोनू पुत्र रामभज वासी जसिया जिला रोहतक ने दिनांक 22.8.2014 को जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी डी0 एण्ड पी0 मण्डल सोनीपत में चौकीदार के पद पर ज्वाईन किया था जिसके शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाणपत्रों को तस्दीक करवाने की जिम्मेवारी श्री राजीव गुप्ता कार्यकारी अभियन्ता की बनती थी, राजेश कुमार पुत्र इन्द्र सिंह वासी पेटवाड जिला हिसार नें दिनांक 20.8.2014 को सीवरमैन के पद पर व सज्जन कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल वासी बाबरवास जिला भिवानी नें दिनांक 20.8.2014 को ही चौकीदार के पद पर जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मण्डल न0 01 गोहाना जिला सोनीपत में ज्वाईन किया था जिनके शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाणपत्रों को तस्दीक करवाने की जिम्मेवारी श्री बिजेन्द्र सिंह तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता हाल जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मण्डल च0दादरी की बनती थी व नवीन कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह वासी खुबडु जिला सोनीपत ने दिनांक 18.08.2014 को जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मण्डल न0 03 सोनीपत के अधीन उपमण्डल न0 01 गन्नौर में कीमैन के पद पर ज्वाईन किया था जिसके शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाणपत्रों को तस्दीक करवाने की जिम्मेवारी श्री दलीप सिंह तत्कालीन कार्याकारी अभियन्ता की बनती थी। परन्तू हिदायत जारी होने उपरान्त भी सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ताओं(DDO) द्वारा उक्त उम्मीद्वारों के शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाणपत्रों की तस्दीक नहीं करवाई गई। इस प्रकार आरोप सिद्ध होना पाया जाने पर मोनू पुत्र रामभज वासी जसिया हाल चौकीदार जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन न0 03 गोहाना जिला सोनीपत के विरुद्ध 10th व 12th के जाली शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों के आधार पर व सज्जन कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल वासी बाबरवास जिला भिवानी हाल चौकीदार जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन तोशाम जिला भिवानी, राजेश कुमार पुत्र इन्द्र सिंह वासी पेटवाड जिला हिसार हाल सिविरमैन जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन न0 02 जीन्द व नवीन कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह वासी खुबडु जिला सोनीपत हाल की मैन जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन न0 02 सोनीपत के विरुद्ध जाली अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर जनस्वास्थ्य विभाग सोनीपत में मैकनिकल ग्रुप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति पाने के सम्बन्ध में भा0द0स0 की धारा 420,467,468,471 के तहत अभियोंग अंकित किये जाने व ये जाली प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाने में यदि अन्य प्राईवेट व्यक्ति की मिली भगत सामने आये तो उसे अनुसंधान के दौरान तैय किया जाने व उक्त चारों को ज्वाईनिंग देते समय उनके अनुभव/शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की तस्दीक न करवा कर लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुप्ता तत्कालीन एवं हाल कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग डी0एण्ड0पी0 डिविजन सोनीपत के विरुद्ध हरियाणा सिविल सर्विस नियम 2016 की धारा 4A के तहत, श्री बिजेन्द्र सिंह तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन न0 01 गोहाना हाल हाल कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग च0 दादरी के विरुद्ध हरियाणा सिविल सर्विस नियम 2016 की धारा 4B के तहत व श्री दलीप सिंह तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन न0 3 सोनीपत हाल सेवानिवृत के विरुध हरियाणा सिविल सर्विस(पेंशनर) नियम 2016 के नियम 12(1) A read with 12(2)B व तहत विभागीय कार्यवाही हेतू लिखे जाने की सिफारिश सहित अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक रा0चौ0ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 18653/रा0चौ0ब्यूरो(ह) दिनांक 29.11.2019 अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भेजी गई थी जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 25/40/2018-4चौ-I दिनांक 13.1.2020 की अनुपालना में महानिदेशक रा0चौ0ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांकन क्रमांक 1041/आई-5/रा0चौ0ब्यूरो(ह) दिनांक 16.1.2020 अनुसार मोनू पुत्र रामभज वासी जसिया हाल चौकीदार जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन न0 03 गोहाना जिला सोनीपत, सज्जन कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल वासी बाबरवास जिला भिवानी हाल चौकीदार जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन तोशाम जिला भिवानी, राजेश, कुमार पुत्र इन्द्रसिंह वासी पेटवाड जिला हिसार हाल सिविरमैन जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन न0 02 जीन्द व नवीन कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह वासी खुबडु जिला सोनीपत हाल की मैन जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन न0 02 सोनीपत के विरुद्ध अभियोंग अंकित करने के आदेश व जांच से सम्बन्धित पांच फाईले प्राप्त हो चुकी है। अत: अभियोंग अंकित करने हेतू लिखित लेख मय रिकार्ड (जांच से सम्बन्धित पांचों फाईले) सेवा में प्रस्तुत है जिस पर अभियोंग अंकित किया जाये। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां ईलाका मजिस्ट्रेट साहब सोनीपत व अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण को भिजवाई जायें। SD- उ0नि0 नरेन्द्र सिंह न0 459/एच थाना रा0चौ0ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक । अज थाना- उपरोक्त लिखित तहरीर थाना हजा में प्राप्त होने पर मुकदमा न0 1 दिनांक 25.1.2020 जेर धारा 420,467,468,471 भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया गया है। कम्पयूटर प्रतिया प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया डाक/ई-मेल ईलाका मजिस्ट्रेट साहब व राज्य चौकसी ब्यूरो के सम्बन्धित अफशरान बाला को भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हस्ब आदेश पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक आगामी अनुसंधान हेतू जांच क्रमांक 21 दिनांक 13.12.2018 सोनीपत की पांचो फाईले जिनमें Complaint file page No 1-87,Statement file page No 1-165,Police file page No 1-317, Document file No 1 page No. 1-545, Document file No. 2 page No 1-667 है हवाले निरीक्षक जगत सिंह न0 84/HAP थाना रा0चौ0ब्यूरो रोहतक की जाएगी। उपरोक्त मुकदमा थाना प्रबन्धक के कोड से महिला उप निरिक्षक ओमपति न0 818/रोहतक की हाजीरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** JAGAT SINGH **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 4130 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ओमपति 4/31

Rank (पद): S.I

No. (सं.): ~~ips~~ 818/RTK

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**